UPLL010002572021

न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

सत्र विचारण संख्या 32/2021
सरकार बनाम सूरज सिंह

मुकदमा अपराध संख्या 42/2020
अन्तर्गत धारा 376, 458, 323, 504, 506 भा.द.सं.
थाना बानपुर, जनपद ललितपुर।

आरोप

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्त सुजान सिंह पुत्र कैलाश यादव, निवासी ग्राम वीर, थाना बानपुर, जनपद ललितपुर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि घटना की दिनॉक 25.02.2020 एवं 02.03.2020 को समय भिन्न–भिन्न एवं स्थान वह्द ग्राम वीर थाना, बानपुर पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ बलात्कार किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि घटना की दिनाँक, समय, स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त ने वादिनी पर हमला करने के उद्देश्य से रात्रि में गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 458 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि घटना की दिनाँक, समय स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त ने वादिनी के साथ मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

4–यह कि घटना कि दिनाँक, समय, स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त ने वादिनी को बुरी–बुरी गालियाँ देकर साशय अपमानित किया, जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी के पति व बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जो भा.द.सं. की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–14.09.2021

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–14.09.2021

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.09.14 11:46:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

सत्र विचारण संख्या 32/2021
सरकार बनाम सूरज सिंह आदि

मुकदमा अपराध संख्या 42/2020
अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा.द.सं.
थाना बानपुर, जनपद ललितपुर।

आरोप

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण सूरज सिंह यादव व कैलाश यादव, निवासीगण ग्राम वीर, थाना बानपुर, जनपद ललितपुर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि घटना की दिनाँक 02.03.2020, समय 01.00 बजे स्थान वह्द ग्राम वीर पर आप अभियुक्तगण ने वादिनी के लड़के के साथ मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

2–यह कि घटना कि दिनाँक, समय, स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण ने वादिनी एवं उसके पति व पुत्र को बुरी–बुरी गालियाँ देकर साशय अपमानित किया, जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पति व बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जो भा.द.सं. की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–14.09.2021

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–14.09.2021

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

<u>न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।</u>

सत्र विचारण संख्या 32/2021
सरकार बनाम सूरज सिंह आदि

मुकदमा अपराध संख्या 42/2020
अन्तर्गत धारा 376, 458, 323, 504, 506 भा.द.सं.
थाना बानपुर, जनपद ललितपुर।

दिनॉक–14.09.2021

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त सुजान अन्य प्रकरण में जेरे हिरासत एवं अभियुक्तगण सूरज सिंह व कैलाश जेरे जमानत समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त सुजान द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ बलात्कार किया गया, उससे मारपीट की गयी तथा किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी तथा जब उलाहना देने वादिनी के पति व उसका पुत्र अभियुक्तगण के घर गये तो उनसे मारपीट की गयी तथा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सुजान के विरूद्ध धारा 376, 323, 458, 504, 506 भा.द.सं. व अभियुक्तगण सूरज सिंह व कैलाश के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्त सुजान के विरूद्ध धारा 376, 323, 458, 504, 506 भा.द.सं. व अभियुक्तगण सूरज सिंह व कैलाश के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक 24.09.2021 को पेश हो।

दिनॉक–14.09.2021

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।